



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
दूरभाष क्रं. - 0755 - 2970310
Website: - www.klsgaci.edu.in
e - mail: - Principal@Klsgaci.nic.in

File No./Estd./Letter/2023/1004/ 851

bhopal, dated: 6/05/2023

// विज्ञापन //

अंशकालिक आधार पर Statistician पद पर अनुबंध हेतु

पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद संस्थान भोपाल में अंशकालिक आधार पर Statistician के पद हेतु आवेदन, बायोडेटा एवं शैक्षणिक दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस तक आमंत्रित किये जाते हैं।

न्यूनतम अर्हता:—Statistics अथवा Maths में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। (एम.एस.सी. Statistics को प्राथमिकता)

नोट :- नियम एवं शर्तें संस्थान की Website - www.klsgaci.edu.in पर उपलब्ध हैं।

(डॉ. उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सम्पर्क:- 9425373046



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, भोपाल)

e-mail: principal@klsghi.nic.in
webmaster@klsghi.nic.in

Website: http://klsghi.nic.in
Phone: 0755-2970310

File No./Estd./Dir/2023/1002/ 851

bhopal, dated: 06-04-2023
06/04/2023

—:: Statistician पद हेतु नियम एवं शर्तें ::—

1. यह अनुबंध अंशकालिक तथा सत्र-2023-24 हेतु है। संबंधित पद पर नियमित पदस्थापना होने अथवा सत्र समाप्ति (जो भी पहले हो) होने पर अनुबंध स्वमेव ही समाप्त हो जायेगा।
2. संस्थान कार्यकारी समिति द्वारा पारित निर्णयानुसार मानदेय प्रतिकाल खण्ड रूपये 500/- (राशि पांच सौ मात्र) देय होंगे जो कि प्रतिमाह राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होंगे।
3. संस्थान में प्रवेशित पी.जी./यू.जी. पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र- 2023-24 के अन्तर्गत statistics के अध्यापन हेतु अध्यापन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अतिथि अध्यापक की सहमति के साथ उक्त अनुबंध आगामी शिक्षण सत्रों हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
4. विभागाध्यक्ष स्वस्थवृत्त विभाग के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
5. किसी भी स्थिति में अतिथि अध्यापक किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
6. बिना किसी पूर्व सूचना के निरन्तर 06 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी कोई पूर्व सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी।
7. यह सेवाएं पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। नियमितीकरण से संबंधित कभी-भी कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।
8. छात्रों की अनुपस्थिति अवधि में, विश्वविद्यालयीन अवकाश एवं शासकीय अवकाश के दिनों में कक्षाओं का संपादन नहीं होने के कारण उक्त दिनों हेतु मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
10. अनुबंधित उम्मीदवार को आमंत्रण के पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
11. Statistician अतिथि अध्यापक किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे, और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
12. कालखण्ड की अवधि संस्थान द्वारा जारी समय-चक्र के अनुसार रहेंगी।

(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

